





FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी)

क्रमांक ..... वनाम .....  
 किरम मुकदमा ..... नं. ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27-4-23	<p>19-06-23</p> 
17-6-23	<p><b>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फॉरवर्ड</b>  <b>उप./अप. के द्वारा उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>द्वारा/द्वारा के द्वारा/निवेदन के</b>  <b>द्वारा/द्वारा के द्वारा/निवेदन के</b>  <b>क्रमांक 23-8-23 का पेश हो।</b></p> 
23-8-23	<p><b>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फॉरवर्ड</b>  <b>उप./अप. के द्वारा उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>द्वारा/द्वारा के द्वारा/निवेदन के</b>  <b>द्वारा/द्वारा के द्वारा/निवेदन के</b>  <b>क्रमांक 8-11-23 का पेश हो।</b></p> 
18.10.2023	<p>वकील प्रार्थीगण के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 08.11.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेध को आगे न चलाकर इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर वादपत्र को विद्वा किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>  <p>18/10/23</p>

प्रार्थना पत्र  
 उपस्थित किये जाने  
 के, विद्वा  
 किये जाने का निवेदन  
 किया।  
 18/10/23

दिलीप सिंह  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाशाना)